IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

A CRITICAL ANALYSIS OF EXECUTION OF CAPITAL PUNISHMENT IN INDIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

SUNITA ARYA

LLM Student

ROLL NUMBER: 230906262014

Amrit Law College, Dhanauri, Roorkee

Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University, (Uttarakhand)

सारांश :

ष्जीवन अनमोल है और मृत्यु अटल है। ष्मृत्युदंडष् कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी लोकतांत्रिक समाज में प्रस्तुत सजा का सबसे ऊपरी स्तर है। अध्ययन का उद्देश्य वर्तमान शोधए कानूनी नियमोंए ऐतिहासिक घटनाओं और कुछ न्यायिक निर्णयों आदि की जांच करके भारत में ष्मृत्युदंडष् का गंभीर विश्लेषण करना है । यह देखा गया है कि भारत में श्मृत्युदंडश का पालन करना श्दुर्लभतम से दुर्लभतमश मामले हैं। लेकिन फिर भी भारत ने अपराधियों को श्मृत्युदंडश दी। भारतीय दंड संहिता ;च्ब्द्ध और आपराधिक दंड संहिता दोनों ष्मृत्युदंडष् के लिए लागू कानूनों का उल्लेख करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने के लिए केवल कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा सकता है। संक्षेप मेंए सभी तर्कों की समीक्षा करने के बादए सजा के पक्ष में उन लोगों के लिए ताकत के कुछ प्रमुख क्षेत्रष् इसका जोरदार विरोध करते हैं। मृत्युदंड पर बहस बहुत संदिग्ध है। इस तरह की सजा मुक्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वैध अधिकार है जहां मौत की सजा को समाप्त कर दिया गया है या केवल उन अपराधियों के खिलाफ उपयोग किया जाता है जो दोषी पाए गए हैं।

कीवर्डरू मृत्युदंडए अपराधीए अपराधए सजा

परिचयरू

आपराधिक न्याय प्रणाली सरकार के संस्थानों से संबंधित है जो पूरे देश में कानून को बनाए रखनेए शांति और सद्भाव को बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के प्रभारी हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो दूसरे के हाथों नुकसान या हानि का अनुभव करता हैए उसे अपने मामले पर बहस करने और निवारण की तलाश करने का अवसर दिया जाना चाहिएए और यह आपराधिक न्याय प्रणाली का लक्ष्य है । कानून की अदालत द्वारा अपराध के दोषी पाए जाने के बाद मौत की सजा पाए व्यक्ति के निष्पादन को मृत्युदंड के रूप में जाना जाता हैए जिसे कभी.कभी मृत्युदंड के रूप में जाना जाता है। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली मृत्युदंड का एक महत्वपूर्ण घटक है ।

भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली की आवश्यकता और विकास और मृत्युदंड का विकास

- ***आपराधिक न्याय प्रणाली***

हॉब्स ने दावा किया कि चूंकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से लालची है और आनंद के लिए सब कुछ करेगा। बेंथम के अनुसारए दर्द से बचने के लिए एक इंसान को आनंद का पीछा करना चाहिए। वह आम तौर पर अपनी प्रवृत्ति का पालन करता हैए और पूर्व समय मेंए उसके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कोई नियम या प्रतिबंध नहीं थे। बढ़ती आबादी और गांवों की संख्या के कारण उनके हितों का दूसरों के साथ टकराव हुआए जिसने एक प्रतिकूल स्थिति पैदा की। इसलिएए एक प्रणाली जो किसी व्यक्ति के कार्यों पर नजर रख सकेए उसके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक थी। आपराधिक न्याय प्रणाली उसी तरह से विकसित हुई है जैसे मनुष्य ने की है ।

उन्होंने प्रारंभिक चरण में अपनी जरूरतों और इच्छाओं के अनुसार जवाब दिया जब उनके व्यवहार पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। वह अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। उसके बादए दूसरा चरण शुरू हुआए उस समय के दौरान क्षेत्र बढ़ता गया और ष्राज्यष् का विचार विकसित हुआ। इस बिंदु परए एक शासक ने राज्य की

अध्यक्षता कीए और अन्य लोगों ने उसके आदेशों का पालन किया। हालाँकिए हितों का टकराव इस चरण को संभालने के लिए बहुत अधिक थाए इसलिए राजा ने आँख के बदले आँख और शरीर के लिए शरीर के दर्शन के आधार पर गंभीर दंड लगाया। इस अवधि में प्रतिशोध और आक्रोश लाजिमी था। एक अच्छी प्रणाली की आवश्यकता थी जब राजा अभी भी मानव व्यवहार को नियंत्रित करने में असमर्थ था और समाज अव्यवस्थित था। आपराधिक न्याय प्रणाली सरकार के इस विश्वास के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आई कि समय और सामाजिक विकास की प्रगति के परिणामस्वरूप प्रत्येक राज्य में अपराध के स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली थीए जिसने राजशाही को अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित कियाए जिसे तब लोकतंत्र द्वारा बदल दिया गया था।

- ***भारत में मृत्युदंड***

1980 और 1990 के दशक के मध्य के बीच मौत की सजा पाने वाले और मौत की सजा पाने वाले लोगों की संख्या गिनना मुश्किल होता जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल दो या तीन लोगों को फांसी दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 1980 से बचन सिंह मामले में घोषणा की कि केवल भारत को 1861 के आपराधिक संहिता को लागू करना जारी रखना चाहिएए जिसने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हत्या के लिए मौत की सजा दी थी। जब भारतीय संविधान 1947 और 1949 के बीच लिखा जा रहा थाए संविधान सभा के कई सदस्यों ने मौत की सजा को हटाने के लिए समर्थन का संकेत दियाए लेकिन ऐसा कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया था। अगले दो दशकों के दौरानए मौत की सजा को समाप्त करने के लिए निजी सदस्य कानून लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किए गए थेए लेकिन उनमें से कोई भी पारित नहीं हुआ था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ष्दुर्लभतम से दुर्लभष क्या हैए यह माना जाता है कि 1950 और 1980 के बीचए 3000 से 4000 निष्पादन किए गए थे ।

भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता

लंबित मामलों की संख्या

अदालत में कई खुले मामलों के परिणामस्वरूप न्याय में देरी होती है। न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान हैए एक कहावत है। 2022 की रिपोर्टों के अनुसारए लगभग 4ण्7 करोड़ मामले अभी भी अदालत में इंतजार कर रहे हैं। इसलिएए कानूनों को बदलने की आवश्यकता हैए और आपराधिक न्याय प्रणाली को तेजी से मुकदमे और न्याय पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है।

विचाराधीन कैदी

विचाराधीन कैदी देश भर की जेलों को बंद कर देते हैंए जो भीड़भाड़ के मुद्दे में योगदान देता है। 2020 की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि मुकदमे की प्रतीक्षा करने वाले दोषी जेल की आबादी का 70: हिस्सा बनाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसारए इससे उनके जीवन के मौलिक अधिकार का भी हनन होता है।

न्यायाधीशों की कमी

भारतीय अदालतों में न्यायाधीशों की कमी न्यायपालिका को तनाव देती है क्योंकि अधिक मामले प्रतीक्षा कर रहे हैंए जो न्यायाधीश की कमी की समस्या को जोड़ता है। आंकड़ों और रिपोर्टों के अनुसारए वर्तमान में देश में 19 न्यायाधीश हैंए जो भारी कमी का संकेत देता है।

न्याय प्रणाली की स्नेह

भ्रष्टाचार और न्यायपालिका पर राजनीतिक प्रभाव के कारण आपराधिक न्याय प्रणाली निष्क्रिय है। नतीजतनए एक निर्दोष व्यक्ति अपना पूरा जीवन जेल में बिता देता है और एक आरोपी व्यक्ति आसानी से कानूनी जिम्मेदारी से बच जाता है।

पुलिस बल से संबंधित प्रश्न

पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह सच्चाई का पता लगाने के लिए स्थिति को देखे और जानकारी इकट्ठा करे। दुर्भाग्य सेए कभी.कभी पुलिस आबादी को यातना और परेशान करके अपने अधिकार का दुरुपयोग करती है। नतीजतनए देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है।

सुधारों

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की उपरोक्त समस्याओं और कमजोरियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें सुधार की तत्काल आवश्यकता है। मलिमथ समिति ने 2004 में अपनी सिफारिशें जारी कीं।

मलिमथ समिति की आज्ञाएं

आपराधिक कानून और आपराधिक न्याय प्रणाली परए समिति ने कई सुझाव जारी किए। यह निम्नलिखित सुझाव देता हैए उदाहरण के लिएरू

- इसने संविधान के अनुच्छेद 20 ;3द्ध के तहत खुद को नुकसान पहुंचाने वाले बयानों के खिलाफ आरोपी के लिए चुप रहने के अधिकार की सिफारिश की।
- यह माना जाता है कि एक अभियुक्त की बेगुनाही की धारणा अभियोजन पक्ष पर आरोपों को साबित करने के लिए एक असाधारण और अनुचित बोझ डालती हैए जिससे न्याय में देरी होती है।
- इसने आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रतिकूल रूप को तेजी से सुनवाई के लिए एक पूछताछ प्रणाली में बदलने और लंबित मामलों के मुद्दे को हल करने का सुझाव दिया।
- समिति ने पीड़ित की बहाली के साथ.साथ इसे और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए देश के पुलिस बल में सुधार के लिए सिफारिशें प्रदान कीं।
- इसने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी अभियोजकों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है।
- यह सुझाव दिया गया था कि आपराधिक कानून में विशेषज्ञता वाले न्यायाधीश हर उच्च न्यायालय में उपस्थित हों।
- यह सुझाव दिया गया था कि अपराधों को सामाजिक आर्थिक अपराधोंए दंड संहिता के तहत अपराधों आदि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाए।
- आपराधिक न्याय प्रणाली की नियमित समीक्षा करने के लिएए एक राष्ट्रपति आयोग का गठन किया जाना चाहिए।

भारत में मृत्युदंड की स्थिति

भारत ने संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव का विरोध किया था जिसमें मौत की सजा पर रोक लगाने का आह्वान किया गया था क्योंकि यह भारतीय कानून और प्रत्येक देश के अपनी कानूनी प्रणाली बनाने के संप्रभु अधिकार के साथ संघर्ष करता है । यह भारत में सबसे खराब अपराधों के लिए दिया जाता है। यह गंभीर और भयानक अपराधों के लिए दिया जाता है। किसी को भी उनके ष्जीवन के अधिकारष से वंचित नहीं किया जा सकता हैए जो अनुच्छेद 21 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को दिया गया है। भारतीय आपराधिक संहिता के अनुसारए हत्याए हत्या के साथ डकैतीए सरकार के खिलाफ युद्धए विद्रोह का समर्थन करने और आतंकवाद विरोधी सहित कई अपराधों में मौत की सजा ;आईपीसीद्ध है। मौत की सजा के मामलों मेंए राष्ट्रपति के पास दया दिखाने का अधिकार है। बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले मेंए अदालत ने फैसला सुनाया कि मौत की सजा केवल दुर्लभतम मामलों में लागू की जाएगी।

जब मौत की सजा की बात आती हैए तो केवल राष्ट्रपति के पास दया देने का अधिकार होता है। उच्च न्यायालय को एक आपराधिक प्रतिवादी के लिए सत्र न्यायालय की मौत की सजा की पुष्टि करनी चाहिएए क्योंकि इसे सौंप दिया गया है। अपराधी भारत के राष्ट्रपति को ष्दया याचिकाष प्रस्तुत कर सकता है यदि उसकी सर्वोच्च न्यायालय की अपील असफल होती है। राज्यों को मौत की सजा पाए कैदियों द्वारा या उनकी ओर से प्रस्तुत दया के अनुरोधों से निपटने की प्रक्रिया के बारे में विशिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। ऐसे कैदियों को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने और उस अदालत में अपील करने के लिए विशेष अनुमति के अनुरोधों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसारए राष्ट्रपति के पास किसी भी व्यक्ति को क्षमा करनेए राहत देनेए राहत देने या सजा देने के साथ. साथ किसी भी व्यक्ति की सजा को निलंबित करनेए हटाने या कम करने का अधिकार हैए जिसे अपराध का दोषी पाया गया है ।

भारत में निष्पादन के तरीके क्या हैंः

भारत में निष्पादन के दो तरीके हैं और वे हैंरू

- ***फांसी***

भारत मेंए फांसी एकमात्र तरीका है जिसका उपयोग मृत्युदंड को प्रशासित करने के लिए किया जाता है। गोडसे भारत में आजादी मिलने के बाद मौत की सजा पाने वाला पहला व्यक्ति थाए जैसा कि महात्मा गांधी के मामले में था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सिफारिश की कि मौत की सजा का उपयोग केवल सबसे चरम परिस्थितियों में किया जाए।

- ***शूटिंग***

सैन्य कोर्ट.मार्शल प्रणाली 1950 के सेना अधिनियम के अनुसार फांसी और बंदूक की गोली दोनों को मौत के स्वीकार्य तरीकों के रूप में मान्यता देती है।

मौत की सजा के अपराध क्या हैं:

अपराध और अपराध जो मौत से दंडनीय हैंरू

- गंभीर हत्या

भारतीय दंड संहिताए 1860 की धारा 302 के अनुसारए यह एक मृत्युदंड अपराध है। भारत के न्यायालय ने बचन सिंह बनाम भारत संघ में फैसला सुनाया। पंजाब राज्य ने कहा कि मौत की सजा केवल तभी वैध है जब ब्दुर्लभतमष परिस्थितियों में चरम सजा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

- अन्य अपराध जिनके परिणामस्वरूप मृत्यु होती है

- मौत की सजा भारतीय आपराधिक संहिता के तहत उन लोगों पर लागू होती है जो सशस्त्र डकैती करते समय किसी की हत्या करते हैं। यदि पीड़ित को मार दिया जाता हैए तो पैसे के लिए किसी का अपहरण करने का अपराध मौत की सजा देता है। यदि संगठित अपराध में शामिल होने से मृत्यु हो जाती हैए तो यह एक बड़ा अपराध है। मौत की सजा तब भी लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को सती करने में सहायता करता है।

- आतंकवाद से जुड़े अपराध लेकिन घातक नहीं

9 फरवरी 2013 को मुहम्मद अफजल को फांसी पर लटका दिया गया था। उन्हें दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हमले के लिए मार डाला गया थाए जिसके परिणामस्वरूप विस्फोटकों और हथियारों दोनों का उपयोग करके पांच शूटरों के हाथों नौ लोगों की मौत हो गई थी। 21 नवंबरए

2012 कोए 2008 की शूटिंग के एकमात्र उत्तरजीवी मोहम्मद अजमल आमिर कसाब को भारत के खिलाफ युद्ध छेड़नेए हत्या और आतंकवादी कृत्यों सहित कई अपराधों के लिए फांसी दी गई थी। मौत की सजा तब लागू की जाती है जब किसी भी प्रकार के विशेष श्रेणी के विस्फोटक का उपयोग विस्फोट करने के लिए किया जाता है जो जीवन को खतरे में डाल सकता है या संपत्ति को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है।

- जरूरी नहीं कि घातक बलात्कार

2013 के आपराधिक कानून अधिनियम के अनुसारए यौन हमले का एक अपराधी जो नुकसान पहुंचाता है जिससे मृत्यु या ष्स्थायी वनस्पति स्थितिष हो सकती है। सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सजा दी जाती है। 2012 में नई दिल्ली में मेडिकल छात्रा ज्योति सिंह पांडे के सामूहिक बलात्कार और बाद में मौत के बादए ये संशोधन किए गए थे ।

2018 आपराधिक कानून अध्यादेश के अनुसारए एक व्यक्ति जो 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार का दोषी पाया जाता हैए उसे मौत की सजा या जुर्माने के साथ 20 साल की जेल की सजा मिल सकती है। इसके अलावाए 2018 के संशोधन में 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सजा या जेल में आजीवन कारावास शामिल है। आठ साल की लड़की आसिफा बानो के बलात्कार और हत्या के बादए जिसने जम्मू और कश्मीर राज्य और देश भर में महत्वपूर्ण राजनीतिक उथल.पुथल मचा दीए नए आपराधिक कानून लागू किए गए ।

- जरूरी नहीं कि घातक अपहरण

  भारतीय आपराधिक संहिताए 1860 की धारा 364 ए के अनुसारए अपहरण जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु नहीं होती हैए एक अपराध है जिसमें मौत की सजा होती है। एक व्यक्ति को इस खंड के तहत जवाबदेह ठहराया जाएगा यदि वे किसी को हिरासत में लेते हैं और उन्हें मारने या चोट पहुंचाने की धमकी देते हैंए और फिर अपहरणकर्ता के कार्यों के परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है।

- मादक पदार्थों की तस्करी से मौत नहीं होती है

  वह व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों की तस्करी के अपराधों का दोषी पाया गया हैए जिसमें विशिष्ट प्रकार और मादक पदार्थों की मात्रा और मात्रा शामिल हैए को मौत की सजा मिल सकती है।

- देशद्रोही

  प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास करता है और अधिकारियोंए सैनिकोंए या नौसेनाए सेना या वायु सेना के सदस्यों को विद्रोह करने में सहायता करता हैए वह मृत्युदंड के अधीन है।

- सैन्य अपराधों के परिणामस्वरूप मृत्यु नहीं होती है

  यदि सेनाए नौसेनाए या वायु सेना के किसी सदस्य द्वारा किया जाता हैए तो हमलाए विद्रोहए या किसी सेवा सदस्य को उसके कर्तव्य से दूर करने का प्रयास करनाए साथ ही साथ कई अन्य अपराधए मौत से दंडनीय हैं।

- कुछ अपराध जिनका परिणाम मृत्यु नहीं होता है

  जो व्यक्ति मृत्युदंड का अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश में भाग लेता हैए उसे मृत्युदंड का सामना करना पड़ता है।

  जिन व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई हैए उनकी हत्या के प्रयास में पीड़ित के घायल होने पर मौत की सजा दी जा सकती है।

  झूठी गवाही के परिणामस्वरूप एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है और उसे फांसी दी जा सकती हैए इस प्रकार जो कोई भी यह जानते हुए गवाही देता है कि वह अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति को उस गवाही के आधार पर मृत्युदंड अपराध करने के लिए दोषी ठहरा सकता हैए उसे मौत की सजा का सामना करना पड़ेगा।

आचरण अपराधी के रूप में मृत्युदंड से किसे छूट दी गई हैइ

- माइनर

  भारतीय कानून कहता है कि 18 वर्ष से कम आयु में अपराध करने वाले नाबालिग को मौत की सजा नहीं दी जाती है।

- गर्भवती महिलाएं

  2009 के संशोधन में कहा गया है कि एक गर्भवती महिला जिसे मौत की सजा दी गई हैए उसे क्षमादान दिया जाए।

- मानसिक रूप से विकलांग

  वह व्यक्ति जो मानसिक रूप से बीमार होने पर अपराध करता हैए अधिनियम की प्रकृति को समझने में असमर्थ हैए या यह समझने में असमर्थ है कि अधिनियम गैरकानूनी हैए उसे कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और भारतीय आपराधिक संहिता के अनुसार मृत्युदंड के अधीन किया जा सकता है।

संवैधानिक कानून

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकारए विशेष रूप से गरिमा के साथ जीने का अधिकारए संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सभी को गारंटी दी गई है। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के हित मेंए राज्य के पास जीवन के अधिकार को प्रतिबंधित करने या रद्द करने का अधिकार है। हालांकिए मेनका गांधी बनाम भारत संघ के फैसले के अनुसार। भारत में संघए यह प्रक्रिया ष्उचित प्रक्रियाष होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के पवित्र जीवन को समाप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया न्यायसंगतए निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए। निम्नलिखित हमारे संस्थापक सिद्धांत की व्याख्या हैरू

- मौत की सजा केवल सबसे चरम स्थितियों में लागू की जानी चाहिए।
- मौत की सजा असाधारण परिस्थितियों के लिए आरक्षित की जानी चाहिए और केवल आवश्यक होने पर ही लागू की जानी चाहिए।
- आरोपी को दर्शकों का अधिकार है।
- बयान को प्रत्येक व्यक्ति की अनूठी स्थिति के आधार पर अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
- उच्च न्यायालय को मौत की सजा के निष्पादन को मंजूरी देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 136 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 379 के तहत याचिका दायर की जा सकती है।
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 433 और 434 और संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहतए अभियुक्त क्षमाए सजा में छूट और अन्य राहत के लिए अनुरोध कर सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास न्यायिक प्राधिकरण के अलावाए मामले के गुण.दोष में हस्तक्षेप करने के लिए अनुच्छेद 72 और 161 के तहत विवेकाधीन अधिकार है। न्यायिक

अधिकारियों के पास मामले की समीक्षा करने का एक सीमित अधिकार हैए और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास सभी प्रासंगिक दस्तावेज और सामग्री है।लेकिन राज्यपाल के अधिकार की नींव नस्लए धर्मए जाति या राजनीतिक निष्ठा पर आधारित नहीं होनी चाहिएए बल्कि कानून के शासन और तार्किक मुद्दों पर होनी चाहिए।

- आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के अनुसार समय पर और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है।
- अनुच्छेद 21 और 22 के तहत आरोपी को प्रताड़ित होने का कोई अधिकार नहीं है।
- अभियुक्त को हिरासत में रहने के दौरान संविधान के अनुच्छेद 21 और 19 के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।
- अभियुक्त को उन वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है जो कानूनी रूप से नियुक्त और सक्षम हैं।

केस लॉ

सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 14ए 19 और 21 ने जगमोहन बनाम भारत संघ में मौत की सजा का उल्लंघन नहीं किया। उत्तर प्रदेश राज्य रिपोर्टों के अनुसारए न्यायाधीश ने मौत.सजा और जेल में जीवन के बीच निर्णय लेने से पहले परिस्थितियोंए सबूतों और अपराध की बारीकियों पर विचार कियाए जो पूरे मुकदमे में प्रस्तुत किए गए थे। इसलिएए अनुच्छेद 21 द्वारा आवश्यक कानून द्वारा स्थापित कानूनी प्रक्रिया के अनुसारए मृत्युदंड लगाने का निर्णय लिया गया था।

में राजेंद्र प्रसाद वी। हालांकिए उत्तर प्रदेश राज्यए न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि मौत की सजा तब तक उचित नहीं होगी जब तक कि यह साबित नहीं किया जा सके कि अपराधी ने समाज के लिए खतरा पैदा किया है। प्रतिष्ठित न्यायाधीश मौत की सजा को खत्म करने के पक्ष में तर्क देते हैं और कहा कि इसे केवल ष्सफेदपोश अपराधोंष के लिए रखा जाना चाहिए। हत्या के लिए मौत की सजाए जो आईपीसी की धारा 302 के अनुसार लगाई गई थीए को भी संविधान के मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करने के लिए घोषित किया गया था।

हालांकि बचन सिंह वी। पंजाब राज्य ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 21 को एक कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को रद्द करने की राज्य की शक्ति को स्वीकार किया है जो न्यायसंगतए निष्पक्ष और उचित है। इसके अलावाए

आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के अपराधों के लिए मौत की सजा देना संविधान के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है।

समाप्ति

आपराधिक न्याय प्रणाली एक ढांचा है जो पुलिसए जेलोंए अदालतों आदि जैसी एजेंसियों के संचालन को नियंत्रित करता है जो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं। समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी हैए और यह केवल एक प्रभावी कानूनी प्रणाली और आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ किया जा सकता है। हालाँकि कानूनों में कई बदलाव किए गए थेए लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए ज्यादातर जिम्मेदार थी।

सरकार संगठित अपराधए सफेदपोश अपराधए साइबर अपराध आदि जैसे नए अपराधों से निपटने के लिए न्याय प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता को पहचानती है जो समय और तकनीकी सुधार के परिणामस्वरूप उभर रहे हैं। नतीजतनए सरकार ने कई समितियों की स्थापना की जिन्होंने विभिन्न सुझाव और सिफारिशें प्रदान कीं। फिर भी स्थिति बिल्कुल नहीं बदली है। न्यायाधीशों की कमी से आने वाले मामलों के बैकलॉग के कारणए अदालतें अभी भी तनाव में हैं। आम जनता का मानना है कि भ्रष्टाचार ने पुलिस बल को अपने कर्तव्य को पूरा करने में असमर्थ बना दिया है और वे राजनेताओं द्वारा नियंत्रित हैं। हिरासत में बलात्कार और मौतें हर दिन आम होती जा रही हैं। इससे जनता के मन में आतंक पैदा होता है। जेलों में अधिक जनसंख्या का अनुभव होता हैए और कैदियों को क्रूर और अमानवीय उपचार मिलता है। जबकि कई समितियों की सिफारिशों का दस्तावेजीकरण किया जाता हैए उन्हें पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता है। निष्पक्ष न्याय देने के लिए भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के लिएए सभी समस्याओं और खामियों को हल किया जाना चाहिए।

यह एक गर्म बहस का विषय है जिसके नैतिक और सामाजिक निहितार्थ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बचन सिंह मामले में दोषसिद्धि की पुष्टि की और ष्वैकल्पिक संभावनाओंष की सूची को चौड़ा कियाए जिन्हें मौत की सजा का चयन करने से पहले तलाशा जाना था। यदि हम मौत की सजा का उपयोग करना जारी रखते हैं तो हम एक निर्दोष व्यक्ति को मौत के घाट उतारने का जोखिम उठाते हैं।

संदर्भ

- https://www.thehindu.com/data/data-70-कैदी.इन.इंडिया-विचाराधीन कैदी हैं।अनुच्छेद 32569643.ece
- https://www.clearias.com/criminal-justice-system-india /https://globcci.org/wp-content/uploads/2021/07/Criminal-Justice-System-in-India 2013.pdf
- https://www.mha.gov.in/sites/default/files/PoliceReforms%28E%29181013.pdf
- https://bprd.nic.in/WriteReadData/userfiles/file/5261991522-Part%20I.pdf
- https://www.mha.gov.in/Division_of_MHA/Women_Safety_Division/prison. सुधार
- http://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/S000020LA/P000841/M01 0097/ईटी/1513752454etext.pdf
- एआईआर 1980 एससी 898
- एआईआर 1980 एससी 898
- 1978 एआईआर 597, 1978 एससीआर (2) 621
- 1973 1 एससीसी 20
- 1979 3 एससीसी 646
- 1980 2 एससीसी 684